संख्या-264/2022/988/41-2022-171 (सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2022**

विषयः-उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड को अंशपूँजी के रूप में आवंटित पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार, उत्तराखण्ड सरकार को देते हुए, परिसर की भूमि पर नवनिर्मित भवन एवं भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4043/6-1-1(09)/मु0मं0घो0/2018-19 दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पत्र संख्या-1862/सी0एस0'एम0डी0/22 दिनांक 18 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड को अंशपूँजी के रूप में आवंटित पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार, उत्तराखण्ड सरकार को देते हुए, परिसर की भूमि पर नवनिर्मित भवन एवं भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम आवंटित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-187/पर्यटन-144-टी0सी0/74, दिनांक 29-04-1975 द्वारा पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड को अपने अंशपूजी के रूप में हस्तान्तरित किया गया था, जिसकी भूमि का क्षेत्रफल-31133.82 वर्गमीटर है, तथा भवन का निर्मित एरिया 2542.07 वर्गमीटर है। उक्त भवन में कक्षों की संख्या-39 है।

3. उत्तर प्रदेश के विघटन के उपरान्त दिनांक 17-05-2001 को उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने पर सम्पत्तियों का बॅटवारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट-2000 के अन्तर्गत किया गया। कालान्तर में आदेश दिनांक 17-05-2001 द्वारा पर्यटन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राही पर्यटक आवास गृह, हरिद्वार व टूरिस्ट बंगला, पीरान कलियर की अचल सम्पत्तियॉ उत्तराखण्ड राज्य सरकार को हस्तगत कर दी गयी हैं।

4. पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार की अचल सम्पत्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अप्रैल, 1975 में ही अंशपूजी के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को हस्तगत कर दी थी। अतः पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा की अचल सम्पत्ति उत्तर प्रदेश सरकार की न होकर उत्तर राज्य पर्यटन विकास निगम में निहित हो गयी थी, जो एक अलग विधिक इकाई थी, उसकी कोई भी चल अथवा अचल सम्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की सहमति के बिना किसी को भी हस्तगत नहीं की जा सकती थी।

5. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट-2000 की धारा-66 में वर्णित अनुसूची-09 के क्रमांक-37 पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का नाम अंकित है। अतएव धारा-66 (1) के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पूर्व के स्वामित्व के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रश्नगत इकाई (अलकनन्दा होटल) भी पूर्ववत् कार्य करता रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. सचिव, मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म एवं कल्चर,टूरिज्म विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2004 से होटल अलकनन्दा, हरिद्वार की अचल सम्पत्ति, उत्तराखण्ड राज्य में निहित हो जायेगी, जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट-2000 की धारा-42 (1) में यह प्राविधानित है कि एक्ट के खण्ड-**VI** के प्राविधान, दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के निर्धारण में केवल उन्ही परिसम्पत्तियों पर लागू होंगे, जो तद्समय उत्तर प्रदेश राज्य की होंगी। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पूर्व में ही पर्यटक आवास गृह, अलकनन्दा, हरिद्वार की अचल सम्पत्ति अपने अंशपूजी के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में निहित कर दी थी, अतएव पर्यटक आवास गृह, अलकनन्दा की अचल प्रापर्टी उत्तर प्रदेश राज्य की न होकर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की हो गयी थी। अतः उसे किसी अन्य को हस्तान्तरित अथवा निहित नही की जा सकती है। चूंकि एक्ट के खण्ड- **VI** की धारा-61 में ही प्राविधानित है कि केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त नही है कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की सहमति/विचार-विमर्श के बिना इनकी सम्पत्तियों को किसी अन्य में निहित कर दें।

7. भारत सरकार के उपरोक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2004 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या-47 आफ-2004 उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य योजित की गयी। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निगम की उक्त परिसम्पत्ति के स्वामित्व हेतु मूल वाद संख्या-1 आफ-2004 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य योजित/दायर की गयी थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा योजित रिट याचिका की सुनवाई करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यटन निगम के पक्ष में दिनांक 30-01-2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया।

8. उक्त के पश्चात् मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में कई बार सुनवाई की गयी, जिसमें दिनांक 07-11-2017 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को उपरोक्त प्रकरण को अपने स्तर से निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। उक्त के क्रम में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव के मध्य पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार इकाई के स्वामित्व के विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ तथा उक्त विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों के आधार पर दिनांक 04-01-2018 से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये तथा अगली सुनवाई दिनांक 15-01-2018 को निर्धारित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य की ओर से योजित शपथ-पत्र के दृष्टिगत उक्त दोनों वादों (रिट याचिका (सिविल) संख्या-47 आफ 2004 उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल वाद संख्या-1 आफ 2004 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तरांचल राज्य) को निस्तारित करते हुए नये पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/निगम को दिनांक 28-02-2018 तक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर आवेदन करने एवं उक्त आवेदन पर उत्तराखण्ड सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 02 वर्ष के अन्दर नये पर्यटक आवास गृह का निर्माण करने के आदेश पारित किये गये।

9. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या-1 आफ 2004 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित आदेश दिनांक 15-01-2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

(I) होटल (पर्यटक आवास गृह) अलकनन्दा, हरिद्वार के परिसर में स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2964 वर्गमीटर (38 मीटर **X** 78 मीटर) है, पर नये होटल के भवन का निर्माण किया जा सकता है, जिसे होटल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। होटल निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जायेगी एवं नये होटल का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होटल अलकनन्दा का स्वामित्व, प्रबन्धन एवं संचालन इत्यादि उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तरित किया जायेगा।

(II) नवनिर्मित होटल (पर्यटक आवास गृह) का स्वामित्व, प्रबन्धन एवं संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(।।।) होटल (पर्यटक आवास गृह) अलकनन्दा, हरिद्वार परिसर में नवनिर्मित होटल भवन के आस-पास रिक्त एवं खुले स्थान को उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य की दोनों सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जायेगा।

10. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड को अंशपूॅजी के रूप में आवंटित पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार, उत्तराखण्ड सरकार को देते हुए, परिसर की भूमि पर नवनिर्मित भवन एवं भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम आवंटित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(1) मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक 15-01-2018 के अनुपालन में पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार के परिसर में स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2964 वर्गमीटर (38 मीटर **X** 78 मीटर) है, पर नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम से हस्तान्तरित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के अंशपूजी के रूप में स्वामित्व वाली वर्तमान इकाई पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार के स्थान पर पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा, हरिद्वार के परिसर में स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2964 (38 मीटर **X** 78 मीटर) है, पर नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह/भवन को पूर्व में पर्यटक आवास गृह अलकनन्दा के सापेक्ष आवंटित किये गये अंशकों के आधार पर ही, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम अंशपूजी के रूप में हस्तगत करते हुए नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह/भवन के नामकरण, संचालन प्रबन्धन का अधिकार दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-264/2022/988(1)/41-2022-171 (सा0)/2021 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।